न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आरएएस)

राजस्व अपील संख्या –02/2023

दायर दिनांक –05.01.2023

निर्णय दिनांक –13.02.2023

जीसीएमएस नं0 –2023/4

अपीलार्थी	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. श्री जगदीश पुत्र रामदेव जाति रेगर निवासी ग्राम खोरी तहसील पुष्कर जिला अजमेर।		1. ग्राम पंचायत खोरी जरिये सरपंच तहसील पुष्कर जिला अजमेर। 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पुष्कर जिला अजमेर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति– 1.श्री एस0के0चौधरी, अधि0, अपीलार्थी।
2.पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर।
3.ग्राम पंचायत खोरी जरिये सरपंच तहसील, पुष्कर।

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वकील अपीलार्थी ने अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व ग्राम पंचायत खोरी द्वारा नामान्तरकरण सं0 474 दिनांक 21.09.2022 को खारिज किया गया था, को निरस्त करने बाबत् पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है–

1. अपीलार्थी के दादा स्व. पूसा पुत्र चैना जाति रेगर निवासी ग्राम खोरी तहसील पुष्कर जिला अजमेर के नाम राजस्व रिकॉर्ड में खाता सं0 07 नया एवं पुराना 06 के खसरा नंबर 601 क्षेत्रफल 0.81 हैक्ट0 किस्म चाही 3 दर्ज है। अपीलार्थी के दादा स्व. पूसा की मृत्यु दिनांक 08.09.1985 को एवं दादी स्व. पानी देवी की मृत्यु दिनांक

13.2.23
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

05.02.1990 व अपीलार्थी की माता राधा देवी की मृत्यु 12.08.1994 को हो गई थी। अपीलार्थी के पिता रामदेव स्व0 पूसा के बाल्यावस्था में ही गोद चले गये थे। स्व0 पूसा ने ही रामदेव का लालन पालन एवं विवाह किया था एवं मृतक पूसा के अपीलार्थी के पिता रामदेव के अलावा अन्य कोई विधिक वारिसान नहीं है एवं मृतक रामदेव के मृत्यु प्रमाण–पत्र में पिता का नाम पूसा व माता का नाम पानी देवी अंकित है।

2. यह कि अपीलार्थी जगदीश ही मृतक पूसा पुत्र चैना का एक मात्र विधिक वारिसान होने के कारण फौतदगी नामान्तरण हेतु ग्राम पंचायत खोरी के समक्ष आवेदन मय शपथ–पत्र एवं मृत्यु प्रमाण–पत्र के साथ पेश किया जिस पर ग्राम पंचायत खोरी ने गैर–कानूनी एवं बिना जॉच किये ही नामान्तकरण खारिज कर दिया जो कि गैर कानूनी आज्ञा पारित कर दी अपीलार्थी उक्त नामान्तकरण के खारिज करने के आदेश से व्यथित होकर अपील प्रस्तुत कर रहा है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पो सं0 01 ग्राम पंचायत खोरी जरिये सरपंच ने अपने जवाब अपील में नामा0 सं0 474 दिनांक 21.09.2022 को खारिज नामा0 को पुनः बहाल किया जाता है तो उसमें ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर की तथ्यात्मक रिपोर्ट व जवाब पेश हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

इस संबंध में पैरोकार सरकार/तहसीलदार, पुष्कर द्वारा पत्र क्रमांक/तह.पुष्कर/भू.अ./2023/547 दिनांक 10.02.2023 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब अपील में बताया कि ग्राम खोरी के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में जमाबंदी संवत् 2070–73 में खाता सं0 नया 7 पुराना 6 के खसरा नंबर 601 रकबा 0.81 हैक्ट0 में पूसा पुत्र चैना हिस्सा पूर्ण जाति रेगर सा0 देह खातेदार दर्ज है।

हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी। अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम पंचायत खोरी द्वारा नामान्तकरण सं0 474 दिनांक 21.09.2022 को गैर कानूनी एवं अविधिक रूप से अपीलार्थी को बिना सुने एवं बिना उसके पक्ष जाने खारिज कर दिया, जो कि गलत है। अपीलार्थी के पिता रामदेव स्व0 पुसा के बाल्यावस्था में ही गोद चले गये थे। स्व0 पुसा ने ही अपने गोद पुत्र रामदेव

13.2.23

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

का लालन–पालन एवं विवाह आदि सामाजिक–धार्मिक संस्कार पूर्ण करवाये थे। मृतक पूसा के अपीलार्थी के अलावा अन्य कोई विधिक वारिसान नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर ग्राम पंचायत खोरी द्वारा अस्वीकृत नामा0 सं0 474 को निरस्त किया जावें तथा अपीलार्थी के नाम फौतदगी नामान्तकरण दर्ज किया जावें। रेस्पोडन्ट्स सं0 02 पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि खसरा नं0 601 रकबा 0.81 हैक्ट0 पूसा पुत्र चैना जाति रेगर के नाम जमाबंदी में दर्ज है। मृतक खातेदार स्व0 पूसा पुत्र चैना रेगर नाऔलाद फौत हुआ था, जिसके कोई जाइन्दा संतान नहीं थी। इस कारण उक्त नामा0 सं0 474 खारिज किया गया था। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात यथा–राजस्व रिकॉर्ड, पैतृक वंशजों के मृत्यु प्रमाण–पत्र, ग्राम पंचायत खोरी का जवाब एवं तहसीलदार पुष्कर की रिपोर्ट का अवलोकन किया जिसके अनुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा खारिज नामान्तरकरण संख्या 474 दिनांक 21.09.2022 को अपास्त कर तहसीलदार, पुष्कर को आदेशित किया जाता है कि समस्त विधिक पक्षकारानों (वारिसानों) को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करे। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

13.2.23

सुखाराम पिण्डेल
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पुष्कर (अजमेर)